



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 139/2019

दायर दिनांक 05.07.2019

| वादी | प्रतिवादीगण |
|---|--|
| 1. प्रभुराम खालिया पुत्र बल्लूराम खालिया जाति जाट निवासी सूपका, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। | 1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर। 2. रामनिवास पुत्र बल्लूराम 3. अरजाराम पुत्र बल्लूराम 4. आईदान पुत्र बल्लूराम 5. चुन्नी देवी पत्नि बल्लूराम 6. जेटाराम पुत्र जगूराम जाट समस्त जातिगण जाट निवासीगण सूपका तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 7. शाखा प्रबन्धक, (एस.बी.बी.जे.) स्टेट बैंक डीडवाना। 8. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा डीडवाना। |

दावा बाबत

रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:-

1. श्री चेनाराम थोरी वकील वादी

दिनांक 06.10.2021

--: निर्णय :-

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि वादी के कब्जा काश्त व वादी के पिता बल्लूराम के नाम कि खातेदारी कि निम्न भूमियां ग्राम सूपका तहसील डीडवाना में अवस्थित है जिसका विवरण इस प्रकार है-

खसरा नम्बर 93 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 428 रकबा 54 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 641/559 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 03 बीघा में से वादी का 1/5 भाग तथा खसरा नम्बर 483/190 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 में से वादी का 1/5 भाग वाकै सरहद सूपका में अवस्थित है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है-

यह है कि वादी के बाल्यकाल का नाम प्रभुराम हटाकर उसके स्थान पर प्रभुराम खालिया पुत्र बल्लूराम खालिया का नाम राजस्व अभिलेख में अंकिन करने की डिक्री वादी के पक्ष में पारित करने की कृपा करावें।

राजस्व लोक अदालत: प्रशासन गांवों के संग, कोर्ट कैम्प-सूपका में प्रकरण पेश हुआ। सरपंच सूपका की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकॉर्ड का अवलोकन किया। सरपंच सूपका की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त खसरान् में खातेदार का नाम प्रभुराम के स्थान पर प्रभुराम खालिया पुत्र बल्लूराम खालिया राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद सुपका में सरपंच सुपका की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 93 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 428 रकबा 54 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 641/559 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 03 बीघा में से वादी का 1/5 भाग तथा खसरा नम्बर 483/190 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 में से वादी का 1/5 भाग में खातेदार का नाम प्रभुराम के स्थान पर प्रभुराम खालिया पुत्र बल्लूराम खालिया राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
(सहायका कलेक्टर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-सुपका

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 कोर्ट कैम्प-सुपका में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
(सहायका कलेक्टर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-सुपका

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 139/2019

दायर दिनाँक 05.07.2019

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|-------|--|
| 1. प्रभुराम खालिया पुत्र बल्लूराम खालिया जाति जाट निवासी सूपका, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर। 2. रामनिवास पुत्र बल्लूराम 3. अरजाराम पुत्र बल्लूराम 4. आईदान पुत्र बल्लूराम 5. चुन्नी देवी पत्नि बल्लूराम 6. जेटाराम पुत्र जगूराम जाट समस्त जातिगण जाट निवासीगण सूपका तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 7. शाखा प्रबन्धक, (एस.बी.बी.जे.) स्टेट बैंक डीडवाना। 8. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा डीडवाना। |

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 06.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुददई श्री चेनाराम थोरी वकील वादी की ओर से मददायलह पेश होकर
हुकम दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद सुपका में सरपंच सुपका की
रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 93 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 428 रकबा 54 बीघा
07 बिस्वा, खसरा नम्बर 641/559 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 03 बीघा में
से वादी का 1/5 भाग तथा खसरा नम्बर 483/190 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा में से
1/2 में से वादी का 1/5 भाग में खातेदार का नाम प्रभुराम के स्थान पर प्रभुराम
खालिया पुत्र बल्लूराम खालिया राजस्व रिकर्ड में दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार
राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस
मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे
दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.10.2021 को सरे इजलास में जारी की
गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवडीडव(नागौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक | - | | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 डीडवाना (नागौर)